हैं, यह मामला भी बी० आई० एफ० आर० को गया था । जो मिल जा सकती है, जाना पड़ेगा वह पेकेज तो बी० आई० एफ० आर० बनायेगा क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री डायरेक्ट्स टच में नहीं आती है । फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इसमें इतना पसा लगा हुआ होता है इसलिए उनको पूछना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछना पड़ता है । इसके बावजूद भी माननीय सदस्य ने जो अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दिया हैं, हम कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की स्कीमें बन सक और मिलें प्रोफिट में चल सकें ।

श्री चिमनभाई मेहता : यही तो मैं कह रहा हूं कि बी० आई० एफ० आर० को ज्यादा मत सौंपिए ।

श्री सभापति : वह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस तरह से अगर मिलें चल सकें तो चलाएं ।

श्री भंवर लाल पंवार : सभापति महोदय, राजस्थान में ब्यावार, भीलवाड़ा और उदयपुर में तीन टैक्सटाइल मिलें हैं । क्या उनमें लेवर कोआपरेटिव्ज बनाने के लिए आगे आ रही है ताकि उनको भी पूरी भागीदारी मिल सके और पूरा लाभ मिल सके ?

श्री अशोक गहलौत : सभापति महोदय, अभी तक हमारे पास एसा कोई प्रस्ताव वहां से नहीं आया है ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह तो आपकी स्टेट का सवाल है **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अमीन : मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि सट्रल जूट मिल ने जो 5 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस बात के पेशे नजर जो बकाया रकम है उससे मजदूरों को मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सोच रही है या नहीं ?

श्री अशोक गहलौत : हम देखेंगे .. **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय

*4. **श्री राघवजी :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के किन-किन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय या उसकी न्याय पीठ नहीं है ; और

(ख) क्या उन स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) इटानगर, गांधी नगर, तिरूवंतपुरम, भोपाल और भुवनेश्वर, भारत में राज्यों की ऐसी राजधानियां हैं जहां इस समय कोई उच्च न्यायालय या उसकी न्यायपीठ नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के पश्चात यह आदेश दिया जा सकता है कि गुवाहाटी न्यायालय की एक न्यायपीठ इटानगर में बैठे ।

Production/Import of Wool

*5. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the quantity of wool being imported annually for the last three years, giving the respective foreign exchange outgo;

(b) what are the objectives of the proposed Wool Development Board;

(c) what is the estimate of wool production for the year 1991-92 in Andhra Pradesh;

(d) what steps are proposed to be taken to enhance the quality and quantity of wool produced in Andhra Pradesh; and

(e) whether a wool marketing centre will be established in Andhra Pradesh which has a large sheep population?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Imported raw wool

Year	Quantity	Value (Rs.)
1988-89	27.59 Mil. Kgs.	175.80 crores
1989-90	21.35 Mil. Kgs.	171.99 crores
1990-91	29.21 Mil. Kgs.	179.84 crores

(b) Wool Development Board was formed to provide an institutional link between the growers and industry and with a view to harmonising various interest between the wool growers and the wool users. Functions of the Wool Development Board are as follows:—

(i) Market intelligence.

(ii) Monitoring and evaluation.

(iii) Price stabilisation.

(iv) Advice to the Government on policy matters.

(v) Quality control and regulations.

(vi) Coordination; and

(vii) Such other functions as may be specified by the Government.

(c) Estimated production of wool in Andhra Pradesh is 1586 metric tonnes during 91-92.

(d) Following steps have been taken to enhance the quality and quantity of wool in Andhra Pradesh:—

1. Cross breeding with exotic Rams of Rambouilldt and Corriedali breed is done with Deccan and Bellary Sheep.

2. Intensive sheep development projects, 10 in number have been taken up in the State. This has 273 sheep extension centres covering 14 Districts.

(e) At present no marketing arrangement exists in the State of Andhra Pradesh. State Government is considering a proposal to set up a State level Sheep and Goat Development Cooperative Federation with the assistance of NCDC which will undertake marketing activities also.

Enactment of laws for adoption

*6. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal under consideration to enact law to make adoption easy for Childless couples in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Reservation of items for the Powerloom Sector

*7. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Powerloom Sector is facing acute crises;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor;

(c) what remedial action is being initiated for survival of Powerloom Industry; and

(d) whether manufacture of any category of cloth has been reserved for the Powerloom Sector, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.